न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 310 / 2023 अपील (GCMS 2023/356)
पंजीयन दिनांक– 16 / 10 / 2023
निर्णय दिनांक– 05 / 03 / 2024

1. श्रीमती नन्दुबाई पत्नि वरदा डांगी, निवासी डांगियो का गुड़ा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती धापुबाई पत्नि वरदा डांगी, निवासी डांगियो का गुड़ा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता मगना डांगी, निवासी डांगियो का गुड़ा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री खेमराज डांगी — अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध, तहसीलदार, बडगांव, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 02 / 2022 निर्णय दिनांक 18.09.2023

निर्णय

दिनांक 05 / 03 / 2024

- अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, बडगांव, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 02 / 2022 निर्णय दिनांक 18. 09.2023 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ दिनांक 27.09.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट मोहनलाल पिता मगना डांगी, निवासी डांगियों का गुडा, तहसील,

बडगांव, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 27.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बडगांव के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री वरदा पिता हरजी डांगी, निवासी डांगियो का गुडा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 5123, 5137, 5241, 5237, 5325, 5346 कुल किता 6 रकबा 0.7250 हैक्टेयर भूमि की वसीयत मुझ प्रार्थी के नाम की गई है। प्रार्थी द्वारा वसीयत पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम नामांतरकरण दर्ज किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2022 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 28.09.2022 से रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02/2022 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:– ***"इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में सभी दस्तावेजों के अवलोकन, वसीयत पत्र पर दर्ज गवाह के बयान, पुलिस अनुसंधान रिपोर्ट को देखने के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वसीयत पत्र में वर्णित ग्राम डांगियों का गुड़ा की आराजी नम्बर 5123, 5137, 5237, 5241, 5325, 5346 कुल किता–6 रकबा 0.7250 हैक्टेयर भूमि में श्री वरदा पिता हरजी डांगी के बजाय श्री मोहनलाल पिता मगना डांगी, निवासी डांगीयों का गुड़ा के नाम व आराजी नम्बर 5161, 5223 किता–2 रकबा 0.1200 हैक्टेयर व संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 5342, 5343 किता–2 रकबा 0.1200 हैक्टेयर में 1/4 हिस्से में वसीयतकर्ता की दोनों पत्नियों नन्दुबाई व धापुबाई का नाम दर्ज करने का पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है।"***
- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट की ओर से श्री खेमराज डांगी, उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 13.02.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय को संदिग्ध वसीयत के आधार पर म्यूटेशन नही करना चाहिए था, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि कथित वसीयत का पंजीयन केवल संदिग्धता को एवं फर्जीपने को कम करने के लिए ही किया गया है। बाकी ऐसे सिम्पल कागज पर बनायी गयी वसीयत मरने के करीब 6 माह बाद पंजीयन कराने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। जिस प्रकार से वसीयत का पंजीयन हुआ है तथा उस वसीयत को देखा जावे तो, उससे स्पष्ट है कि वास्तव में वसीयत फर्जी बनायी गयी है। तथा ऐसी वसीयत के आधार पर किसी भी सूरत में म्यूटेशन नहीं किया जा सकता था। श्रीमती नन्दुबाइ व धापुबाई की एफ. आई. आर. पर एफ. आर. दे दी जिसके संबंध में धारा 482 जा. फौ. के तहत पिटीशन पेश की जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिटीशनर को यह निर्देश दिया कि पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल व पुलिस सुप्रीटेंडेंट जो उनकी आपत्तियों को एक माह में निर्णित करेंगे। कथित वसीयत बिल्कुल फर्जी तैयार की गई है, न तो वह स्टाम्प पेपर पर है तथा उसकी टाइप को भी देखा जावे तो पहले सात–आठ लाइन में अक्षर बडे है तथा लाईनों के बीच भी पहले स्पेस नही छोडा गया है बाद में एक पेज में नहीं आने से टाइप के अक्षर भी छोटे कर दिये व लाइनों के बीच स्पेस भी कम कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2014 (1) Page 196, FIR 1990 (SC) Page 1742, RRD 2008 Page 186, RRD 2004 Page 732, RRD 1995 Page 27, RRD 1989 Page 218, RRT 2009-2010 (Sup.) Page 61, RRT 2009 (1) Page 685, RRD 2017 Page 525 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार, बड़गांव

का आदेश दिनांक 18.09.2023 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि का म्यूटेशन वरदा के नेचुरल वारिसान के नाम कराया जाने का आदेा प्रदान कराया जावें।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि वरदा की मृत्यु के बाद मोहनलाल के पक्ष में की गई आराजीयात पर मोहनलाल का कब्जा चला आ रहा है व शेष भूमि जिस पर मकान बाडें बने हुए है, पर वरदा की दोनों पत्नियां नन्दुबाई व धापु बाई का कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार, बड़गांव के आदेश तारीख 18.09.2023 की पालना में आदेशानुसार नामांतरकरण खोला जाकर स्वीकृत हो चुका है। अपीलांट्स की ओर से उक्त वसीयत फर्जी होना बताई जाकर दिनांक 21.01.2022 को जिला पुलिस अधीक्षक के यहा परिवाद मोहनलाल व वसीयत गवाह के विरूद्ध पेश किया जिसकी एफ. एस.एल. जांच में वरदा के हस्ताक्षर सही होना पाया गया। इसके अलावा भी अपीलांट्स ने वसीयज निरस्त कराने का दिवानी वाद भी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने वरदा द्वारा निष्पादित वसीयत तारीख 19.04.2021 के आधार पर नामांतरकरण खोले जाने का आदेश पारित किया गया है। खातेदार द्वारा जब वसीयत कर दी गई है तो धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होंगे व वसीयत के आधार पर ही नामांतरकरण खोला जाकर स्वीकृत किया जाना उचित है। इसके अलावा भी रजिस्टर्ड वसीयत को जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेवे तब तक धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होंगे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2020 Page 271, RRT 2018 Page 848, RRT 2020 Page 1165, RRT 2020 Page 828 & का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.2023 की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 27.09.2023 को पेश की गयी है, जो अंदर मयाद पेश की गई है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। रेस्पोडेंट मोहनलाल पिता मगना डांगी, निवासी डांगियों का गुडा, तहसील, बडगांव, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 27.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बडगांव के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री वरदा पिता हरजी डांगी, निवासी डांगियो का गुडा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 5123, 5137, 5241, 5237, 5325, 5346 कुल किता 6 रकबा 0.7250 हैक्टेयर भूमि की वसीयत मुझ प्रार्थी के नाम की गई है। प्रार्थी द्वारा वसीयत पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम नामांतरकरण दर्ज किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2022 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 28.09.2022 से रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, बड़गाव का पत्रांक 08.04.2022 से वरदा पिता हरजी डांगी, निवासी डांगियों का गुड़ा की विधिक वारिसान की जांच हेतु पटवारी को लिखा गया था। उक्त पत्र के क्रम में पटवारी द्वारा दिनांक 21.04.2022 से अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया था कि ग्राम डांगियों का गुड़ा में खाता नम्बर 609 किता 8 रकबा 0.8450 हैक्टेयर वरदा पुत्र हरजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वरदा पुत्र हरजी डांगी की पैतृक संपत्ति है। वरदा पुत्र हरजी डांगी को निधन दिनांक 27.05.2021 को हुआ। वरदा

पुत्र हरजी डांगी के वारिसान की जांच की गई। मौतबिरान ने बताया कि वरदा पुत्र हरजी डांगी के पुत्र–पुत्री नहीं है। वरदा पुत्र हरजी डांगी के दो पत्नियां श्रीमती नन्दुबाई व श्रीमती धापुबाई है।

- इसी प्रकार माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर द्वारा दीवानी विधिक प्रकरण संख्या 87/2022 मु. दी. 38 उनवान श्रीमती नन्दुबाई बनाम श्रीमती धापुबाई व अन्य में श्रीमती नन्दुबाई पत्नि स्व. वरदा डांगी के पक्ष में जिला न्यायाधीश द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 24.05.2023 से जारी किया गया है।

- ग्राम पंचायत, लखावली द्वारा दिनांक 02.07.2021 से वरदा पिता हरजी डांगी, निवासी डांगियों का गुड़ा की मृत्यु के बाद वारिसान के रूप में श्रीमती नन्दुबाई व श्रीमती धापुबाई को बताया जाकर प्रमाण पत्र जारी किया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है की मृतक वरदा पिता हरजी डांगी, निवासी डांगियों का गुड़ा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के विधिक वारिसान उनकी दोनो पत्नियां श्रीमती नन्दुबाई व श्रीमती धापुबाई के अलावा को कोई ओर वारिसान नहीं है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2022 एवं 21.04.2022 में अंकित किया गया है कि **''वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत की गई जायदाद पैतृक है''।** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक वरदा को प्राप्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार से निजी व स्वअर्जित संपत्ति नहीं है, जो पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट से प्रमाणित है। जिस वसीयत को आधार बनाया जा रहा है वह विधिक रूप से स्वीकार्य

नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में सबंधित सम्पत्ति स्वअर्जित न होकर पैतृक है।

- नामान्तरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही में वसीयत अथवा गोद जैसे जठित प्रश्नों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। वसीयत अथवा गोद के बिन्दू साक्ष्य के आधार पर नियमित वाद में ही निर्णीत किये जा सकते हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही 'सरसरी' कार्यवाही होती है जिसके आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। रेस्पोडेंट को अपने अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये।

- प्रकरण में मृतक वरदा को प्राप्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार से निजी व स्वअर्जित संपत्ति नहीं है, जो पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट से प्रमाणित है। जिस वसीयत को आधार बनाया जा रहा है वह विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में सबंधित सम्पत्ति स्वअर्जित न होकर पैतृक है। प्रकरण में यह तो स्पष्ट स्थिति है कि पटवारी रिपोर्ट/ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र/माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक वरदा पिता हरजी के विधिक वारिसान श्रीमती नन्दुबाई व श्रीमती धापुबाई ही है।

- विधिक स्थित स्पष्ट करती है कि जहां वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा 2020 RBJ 301 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- On the basis of Un-registered Will mutation cannot be attested- Non applicant should file a suit in the competent court who can decide about the validity of Will mutation

proceedings is a fiscal proceedings in which rights about khatedar of land cannot be decided."

- इसके अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है।

2017 (2) RRT 1279 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135 & 84 - Mutation- attested in favour of petitioners on the basis of Will-Addl. Collector allowed the appeal and found the will suspicious – Will was unregistered & only attested by the Notary – Divisional Commissioner found the will suspicious even then set aside the order of the Addl. Collector – BOR allowed the revision of non-petitioners – Held, No illegality or perversity in order passed by the BOR"

2016 (2) RRT 1099 में मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation- Will in favour of 'R' Addl. Divisional Commissioner directed to record the land in the name of heirs of 'L'- Dispute between natural heirs & testamentary heirs 'R'- 'R' is required to prove will in the regular suit- Suit for title is pending- Held, Interference in the order is not justified."

2003 (1) RRT 650 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण उनवानी जेठू बनाम भंवरसिंह व अन्य में स्पष्ट मत इस प्रकार से व्यक्त किया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation Proceeding – Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of Will of adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriated forum for adjudication of title."

- उक्तानुसार जहां प्राकृतिक वारिसान व वसीयती वारिस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की, जिसका परिणाम हस्तगत

अपील है, अतः इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिस के मध्य विवाद की स्थिति, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है। इस संबंध में पक्षकारान द्वारा नियमित वाद भी लम्बित होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता के संबंध में जांच कराई गई और जांच उपरान्त सभी वारिसान की स्थिति स्पष्ट होने और विवाद की स्थिति होने पर भी विवादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया, जब वसीयत की वैधता साबित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न हो सक्षम सिविल न्यायायल हो है। इसके अतिरिक्त वसीयत की गई पेतृक होने की स्थिति में भी तहसीलदार समक्ष जरिये पटवारी रिपोर्ट से उनके समक्ष थी, और विधिक स्थिति भी स्पष्ट है कि पैतृक भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती फिर भी तहसीलदार द्वारा मनकसूद तरिके से अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विवादित वसीयत के आधार पर अपीलीय नामान्तरकरण पारित कर दिया गया, जो किसी प्रकार से समर्थन योग्य नहीं है।

- मृतक खातेदार के प्राकृतिक वारिसों के नाम अनुप्रमाणित किया गया भूमि का नामान्तरकरण को वसीयत के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक कि वसीयत के लाभार्थी द्वारा वसीयत की प्रमाणिकता एवं संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक वारिसों के विरूद्ध निष्पादित की गई वसीयत सदैव संदेह से घिरी रहती है। विवादित वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में कोई अंतिम निष्कर्ष देना राजस्व न्यायालय के लिये नामान्तरकण की संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं है।

- जहां तक वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन का प्रष्न है, उल्लेख किया जाना आवष्यक है कि वसीयत का विवाद सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित होगा (2005 आरआरडी 401) और वसीयत की प्रमाणिकता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है (2019 आरआरडी–78, 79)। अतः वसीयत की वैधता एवं उसके

प्रमाणन के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है।

- उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि प्रस्तुत प्रकरण में वसीयत की गई सम्पत्ति पैतृक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिस के मध्य विवाद था, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के आवेदन को स्वीकार कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 18.09.2023 पारित किया है, वह उपरोक्त विधिक स्थिति में परिपेक्ष्य में न्यायोचित नहीं होने से निरस्तनीय है। इस प्रकरण में प्रत्यर्थी–4 से 10 द्वारा उक्त वसीयत पर वारिसान के आधार अपनी आपत्ति न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत की है। इस प्रकरण में प्रथमदृष्टया एवं अध्ययन उपरान्त विवादित भूमियों का विरासत का नामान्तरकरण स्व. श्री वरदा पिता हरजी डांगी के सभी विधिक वारिसान (अपीलार्थीगण) के नाम स्वीकृत किया जाना उपरोक्त विधिक परिपेक्ष्य में अपेक्षित है। प्रत्यर्थी को चाहिये कि वह इसे साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी घोषणा बाबत विहित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करे।

- जहां तक सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण का प्रश्न है उक्त प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा कोई स्थगन जारी नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण नामांतरण की कार्यवाही संबंधित है जिसे किसी न्यायालय में लम्बित प्रकरण के आधार पर रोका जाना माननीय **न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के कैलाशचन्द्र बनाम छौटी, 2008 सुप्रीम (राज.) 206, 2008 2 आरएडब्ल्यु (राजजे) 825 (साईटेशनः आरएडब्ल्यु 2008 (2)**

आरजे 825) में प्रतिपादित सिद्वान्त आलोक में उचित नही है। माननीय न्यायालय ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया कि–

''राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, धारा 135 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 5(43) – नामान्तरकरण कार्यवाही की प्रकृति – ''काश्तकार'' शब्द की व्याप्ति – एक काश्तकार वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा लगान देय होता है – काश्तकारी एक काश्तकार एवं भूमिधारी के मध्य लगान के भुगतान के माध्यम से एक संबंध होता है – नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है – अभिनिर्धारित – केवल एक जीवित काश्तकार ही भूमिधारी (सरकार) को लगान का भुगतान कर सकता है न कि मृत काश्तकार – किसी दर्ज काश्तकार की मृत्यु होने पर नियमानुसार उत्तराधिकार को इस अभिवाक् के आधार पर प्रास्थगन में नहीं रखा जा सकता है कि न्यायालय के समक्ष वाद लम्बित है – **नामान्तरकरण की कार्यवाही को इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य वाद लम्बित है।** (प.स.8)

पुनरीक्षण स्वीकार की।''

उपरोक्त न्यायिक उद्वरण में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है। उपरोक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि नामान्तरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है, यह कोई अधिकारी प्रदान नहीं करती है। यह केवल यह निर्धारित करती है कि लगान/कर किसके द्वारा देय होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा के अनुसार, एक टीनेंट वह होना चाहिए जिसके द्वारा लगान/किराया/कर देय हो। नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही

है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिष्चय करती है। उपरोक्त विधिक स्थिति अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही को इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य वाद लम्बित है। माना कि न्यायालय के समक्ष वाद लम्बित है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी स्वयं द्वारा यह माना गया है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे में उक्त लम्बित मुकदमे के निपटारे तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोकने का कोई मतलब नहीं है, जिसे अंतिम रूप से तय करने की प्रक्रिया में वर्षों लग गए है और अभी भी कई वर्ष लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक वारिसान के नाम अपेक्षित नामान्तरकरण को रोके रखा जाना प्रार्थी के न्यायिक, विधिक एवं सवैंधानिक अधिकारो के प्रति अत्यन्त गंभीर कुठारघात है। यह न्यायालय 1992 आरआरडी 227 में प्रतिपादित विचार का समर्थन करती है कि **नामान्तरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है जो पक्षकारों के अधिकारों को तय नही करती है और एक नामान्तरकरण को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य एक मुकदमा लम्बित है। यदि पक्षकार उसके द्वारा दायर मुकदमे में सफल हो जाता है जो उसके आधार पर एक ओर नामान्तरकरण को प्रमाणित किया जाएगा। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों एवं विधिक स्थिति के आलोक में यह न्यायालय पाता है कि विवादित वसीयत के आधार पर प्राकृतिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना उचित एवं उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप है।**

इस प्रकरण में हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के धारा–8 व 10 के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है, जिसमें अनुसार

Section 8 provides for the general rules of succession applicable to the devolution of the property of a male Hindu dying intestate.44 The property devolves firstly, on the heirs specified in Class I of the Schedule; if there is no heir of Class I, then, on the heirs specified in Class II; if there is no heir in any of the two classes, on agnates and if there are no agnates, then upon the cognates of the deceased. Section 9 provides for the order of succession among the heirs in the Schedule. Section 10 provides for the distribution of property among heirs in Class I of the Schedule in the following terms:

"10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.—

The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules:—

Rule 1.— The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.

Rule 2.— The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.

Rule 3.— The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.

Rule 4.— The distribution of the share referred to in Rule 3—

(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters gets equal portions; and the branch of his predeceased sons gets the same portion;

(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions."

In terms of Section 10, the division of property of an intestate among the heirs in Class - I is governed by the four Rules extracted above. They stipulate that

(i) the widow or if there is more than one all of them together shall take one share;

(ii) the surviving sons and daughters and mother shall each take one share; and

(iii) heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter take between them one share.

Class-I of the Schedule is in the following terms:

"Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a predeceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a predeceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a predeceased son of a pre-deceased son; [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a predeceased son]."

उपयुक्त क्रम में हम माननीय सर्वोच्यय न्यायालय के निम्नांकित दृष्टांतों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है जो हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के पक्ष को साबित करते हैः—

SUPREME COURT OF INDIA- Arunachala Gounder (Dead) By Lrs. – Appellant Versus Ponnusamy And Ors. – Respondent, Civil Appeal No. 6659 of 2011, Decided on : 20-01-2022

(A) Hindu Succession Act, 1956 – Sections 14 and 15 – Female Hindu succession – Right of a widow or daughter to inherit self-acquired property or share received in partition of a coparcenary property of a Hindu male dying intestate is well recognized not only under old customary Hindu Law but also by various judicial pronouncements – If a property of a male Hindu dying intestate is a self-acquired property or obtained in partition of a coparcenary or a family property, same would devolve by inheritance and not by survivorship and a daughter of such a male Hindu would be entitled to inherit such property in preference to other collaterals. (Para 66)

इस आदेश में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टातों से जाहिर यह विधिक स्थिति प्रकट होती है कि

इस प्रकरण में प्रत्यर्थी–1 स्व. श्री वरदा की वसीयत के आधार पर प्राकृतिक वारिसान के विरूद्ध अपने नाम नामान्तकरण की कार्यवाही चाहता है। विभिन्न न्यायालयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जब भी वसीयतग्रहिता वसीयत के आधार पर कोई दाद चाहता है तो उस वसीयत की सत्यतता प्रमाणित करने का भार हमेंषा वसीयतग्रहिता का होता है क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल एक वित्तिय प्रोसेगिंग होती है, जिसमें किसी के हक व अधिकार तय नहीं होता हे। वसीयत की प्रमाणित एवं सत्यतया साबित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर केवल सक्षम सिविल न्यायालय का है। इसके अतिरिक्त यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि जहां प्राकृतिक एवं वसीयती वारिसान के मध्य विवाद की स्थिति है तो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राकृतिक वारिसान, जिसमें उक्तानुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान को वरियता प्रदान की जानी है, के नाम नामन्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होने से वसीयत पर विवाद की स्थिति होने से उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

- दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में होने से चस्पा होते है और अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टात उपरोक्त विधिक स्थिति के विपरित होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट स्वीकार** की जाती है। तहसीलदार बड़गावं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2023 एवं उसके अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त/अपास्त किया जाकर स्व. श्री वरदा पिता हरजी डांगी के सभी विधिक वारिसान (अपीलार्थीगण) के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेष दिया जाता है। इस निर्णय की

पालना 7 दिवस में पालना की जाकर इस न्यायालय को अवगत कराया जावें।

- अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बडगांव पीठासीन अधिकारी श्री पर्वत सिंह (आर. टी. एस.) द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2023 से मृतक वरदा के विधिक वारिसान की जांच किये बिना एवं वसीयत संदिग्ध होने तथा पुलिस अनुसंधान में लम्बित रहते व मृतक वरदा की संपत्ति मौरूसी होते हुए भी वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट श्री मोहनलाल के नाम नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया जाना विधिक रूप से सही नही होने/पीठासीन अधिकारी की राजकीय कार्य प्रति लापरवाही को दर्शित करता है। अतः उक्त निर्णय की प्रति जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रेषित कर श्री पर्वत सिंह, तहसीलदार, बड़गावं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने लिखा जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर